IJAER/July-August 2023/Volume-12/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

ग्रामीण महिलाओं पर हिंसा का अध्ययन

Mamta kumari

Research scholar , Department of sociology

VKSU , Ara , Bihar

सार

महिला हिंसा एक गंभीर समस्या है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को प्रभावित करती है। पितृसत्तात्मक (पुरुषों द्वारा नियंत्रित) समाज में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना जाता है। पितृसत्ता असमान सत्ता संबंधों पर आधारित है जिसमें महिला के जीवन के हर पक्ष पर पुरुष का नियंत्रण होता है। परिणामस्वरूप महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच कम होती है और परिवार में पुरुषों के मुकाबले उनकी आवाज़ बहुत कम या न के बराबर सुनी जाती है। इसी के चलते महिलाओं पर प्रभुत्व पुरुषों का रहता है व उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज महिलाओं का सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है लेकिन व्यावहारिक रूप से महिला सशक्तिकरण अभी भी वास्तविकता का एक भ्रम है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है।

मुख्य शब्द: *महिला, हिंसा, समाज*

प्रस्तावना

महिला हिंसा एक गंभीर समस्या है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को प्रभावित करती है। इसकी जड़ें सामाजिक ढ़ांचों में हैं और समाज के सभी वर्गों में फैली हुई हैं। हर उम्र, वर्ग, धर्म, संस्कृति, जाति, इलाके व शैक्षिक स्तर की महिला इससे प्रभावित होती है। यद्यपि आमतौर पर माना जाता है कि पुरुष ही महिलाओं पर हिंसा करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अक्सर औरत अपने परिवार की, पितृसत्तात्मक सोच वाली महिला सदस्यों द्वारा भी हिंसा का शिकार होती रहती है। अधिकांश मामलों में हिंसा परिवार या पास–पड़ोस के दायरों में ही होती है।

विभिन्न समाज सुधारकों एवं विचारकों ने यह स्प्ष्ट किया है कि हर शोषण के पीछे आर्थिक कारणों का उतना ही प्रबल हाथ होता है जितना सामाजिक और पारस्परिक कारणों का। नारी पर सदियों से हो रहे अत्याचारों के मलू में नारी को बन्धक बनाने वाले कारणों में मुख्य कारण उसकी आर्थिक पराधीनता रही है, उसे घर की चारदीवारी में शिक्षा, विचार, व्यवहार, भ्रमण और रूचियों से काटकर पारिवारिक जनों के सेवार्थ बन्दी बना कर रखा गया था। परिणामस्वरूप उसकी बुद्धि का विकास अवरूद्ध हो गया और वह पूरी तरह से पुरूष पर आश्रित हो गयी।

स्त्री पुरूष की अपेक्षा स्त्री द्वारा कहीं अधिक शोषित है। निःसंदेह पुरूषों के बनाए नियमों के फलस्वरूप स्त्री की यह दशा है। इस तथ्य पर बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। किन्तु किसी भी रोग का निदान करने के लिये उसके मलू कारणों की अपेक्षा उसके वर्तमान लक्षणों व उनसे उत्पन्न हानियों – विकृतियों को ही हले ध्यान में लाना होता है।

समकालीन समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक खतरनाक और पुरानी समस्या बन गई है। अपने व्यापक अर्थों में, इसमें वह हिंसा शामिल है जो परिवार के भीतर और घर के बाहर दोनों जगहों पर होती है। पारिवारिक हिंसा वास्तव में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे आम रूप है। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है लेकिन उनके परिवारों में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दुनिया भर में अनगिनत महिलाएं अपने घनिष्ठ अंतरंग संबंधों के भीतर दुर्व्यवहार के निरंतर भय में रहती हैं और अभाव की स्थितियां अक्सर एक कारण से मौजूद होती हैं कि वे महिलाएं हैं। यह मुद्दा महिलाओं के एक विशिष्ट समूह तक सीमित नहीं है और यह कहीं न कहीं उनकी आर्थिक और सामाजिक भागीदारी, भलाई, आश्रय और सुरक्षा उपायों को प्रभावित करके कई कमियों का सामना करने के जोखिम को बढ़ाता है। यह समस्या एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में उभर रही है जो एक महिला की आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती है और उसे कई तरह से मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आर्थिक और यौन रूप से पीड़ित करती है। यह मानवाधिकारों के सबसे आक्रामक उल्लंघनों में से एक है जो महिलाओं की समानता, रक्षा, आत्म–सम्मान, आत्मविश्वास और यहां तक कि मौलिक स्वतंत्रता को रोजगार देने के उनके अधिकार का खंडन करता है। अगर इस पीढ़ी में महिलाओं के मानवाधिकारों को साकार करना है, तो अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा के इस चक्र को तोड़ना एक आवश्यक और जरूरी काम है।

समाज के भीतर पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति संबंध मुख्य रूप से विभिन्न रूपों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। पुरुष प्रधान समाज के भीतर पुरुष विशेषाधिकार सामान्य शासन मानदंड बन जाता है और यह इस विश्वास में योगदान देता है कि पुरुषों को महिलाओं को नियंत्रित करने का अधिकार है। ये सभी मान्यताएं और प्रथाएं विभिन्न स्थितियों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जन्म देती हैं। ऐसे कई प्रेरक कारक हैं जो इस तरह के व्यवहार के अंतर्गत आते हैं जैसे किसी विशेष व्यक्ति की परिवार के किसी अन्य सदस्य पर सत्ता हासिल करने की इच्छा, अपने निजी लाभ के लिए कमजोर व्यक्ति का शोषण करने की आकांक्षा और एक में रहने की इच्छा विभिन्न प्रकार के हिंसक व्यवहार आदि को नियोजित करके हर समय एक की श्रेष्ठता और दूसरे व्यक्ति के वर्चस्व को प्रदर्शित करके आधिकारिक स्थिति। हालाँकि यह समस्या संस्कृति, वर्ग, शिक्षा, आय, जातीयता और उम्र की सीमाओं को लांघते हुए हर क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन हमें कभी भी उन महिलाओं की वास्तविक संख्या के बारे में पता नहीं चला, जो घर के बंद दरवाजों के पीछे इस तरह के दुर्व्यवहार की शिकार हैं। उनके घर। परिवार के सदस्यों और दोस्तों से अनादर और अलगाव, जो हमारी संस्कृति में घरेलू हिंसा का एक अनिवार्य पहलू बना हुआ है, उत्तरजीवियों में से कई के लिए चुप्पी बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा, खराब आर्थिक स्थिति और समर्थन प्रणाली की कमी भी ऐसे योगदान कारक हैं जो महिलाओं को चुपचाप दुर्व्यवहार सहने के लिए मजबूर करते हैं।

बंद दरवाजों के पीछे महिलाओं के खिलाफ होने वाली ऐसी हिंसा से कोई भी समाज मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। चाहे वह एक ग्रामीण क्षेत्र हो, एक कस्बा, एक शहर या एक महानगर, घरेलू हिंसा हर महिला की कहानी है, केवल भिन्नता इसके पैटर्न और प्रवृत्तियों में है जो विभिन्न देशों और क्षेत्रों में अलग–अलग मौजूद हैं। महिलाओं के खराब स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण परिवार के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा है। इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को परिणामी चोटों के कारण मृत्यु और अक्षमता के माध्यम से और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों के बीच पाई जाने वाली कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बढ़ी हुई संवेदनशीलता के माध्यम से देखा जा सकता है। जो महिलाएं हिंसक व्यवहार का अनुभव करती हैं, वे न केवल विभिन्न प्रकार की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होती हैं, बल्कि कम आत्म सम्मान के कारण उनकी निजी या सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। यह समस्या न केवल हिंसक व्यवहार में शामिल व्यक्तियों को हानि पहुँचाती है बल्कि यह पीढ़ियों में परिवारों और समुदायों को भी बाधा पहुँचाती है। इसलिए महिलाओं के खिलाफ इस हिंसा का मुकाबला करना न केवल पति–पत्नी के बीच स्वस्थ संबंध विकसित करने के लिए बल्कि मानवाधिकारों की सच्ची प्राप्ति के लिए एक समतावादी समाज के विकास के लिए आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. यह पता करना है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं पर हिंसा किस गति से बढ़ रहा है।
2. परिवर्तित ग्रामीण स्थिति में महिलाओं पर हिंसा के कारणों का पता लगाना।
3. महिलाओं की आर्थिक स्थिति को जानना ।

महिलाएँ और हिंसा

जैसे–जैसे समाज में स्वतन्त्रता और आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है। वैसे–वैसे आदमी और अधिक बर्बर और पाश्विक बनता जा रहा है। उसकी दृष्टि में मासूम बच्ची से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा तक मात्र एक महिला है। इसी मानसिकता के कारण महिलाओं को बार–बार बलात्कार का शिकार होना पडता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य बनाम गुरमीत सिंह के बाद में स्पष्ट कहा था "एक हत्यारा तो किसी व्यक्ति को केवल जान से मारता है, जबकि एक बलात्कारी पीडिता की आत्मा को उसकी स्वयं की नजरों से गिरा देता है।" सुसन ब्राउन मिलर के अनुसार ष्बलात्कारी पुरूषों द्वारा महिलाओं को लगातार बलात्कार से भयभीत रखकर समस्त महिला समाज पर नियंत्रण बनाए रखने का षडयंत्र है।"

बलात्कार के प्रकरण

क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट के वर्ष 2002 के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में प्रतिदिन बलात्कार के लगभग 50 प्रकरण दर्ज होते है। अर्थात प्रत्येक घण्टें में देश में बलात्कार की दो घटनाएँ हो जाती है। इन दर्ज प्रकरणों मे से लगभग एक तिहाई से ज्यादा 374 दिल्ली शहर मे हुए वर्ष 2001 मे 380 तथा वर्ष

2002 में वह संख्या 403 तक पहुँच गई थी। इनमें से लगभग आधे प्रकरणों में पडोसियों को दोषी पाया गया। पडोसियों के बाद किरायेदार व दोस्त तथा रिश्तेदार बलात्कार जैसे जघन्य और घृणित अपराध में लिप्त पाए गए।

1. पारिवारिक हिंसा

अधिकतर महिलाएँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतियों द्वारा प्रताडित की जाती है। इन्हें शारीरिक यातनाएँ दी जाती है। पुलिस अन्वेषण में यह तथ्य सामने आया है कि ज्यादातर महिलाएँ पति द्वारा पीटी जाती है। उनके साथ गाली–गलौच किया जाता है। इन मामलों मे परिवार के सदस्यों, पडौसियों मित्रो द्वारा पति–पत्नी का निजी घरेलू मामला मानते हुए आँखे बन्द कर ली जाती है। इस दशक में महिला समूहों के केन्द्रो से सम्पर्क करने पर ज्ञात होता है कि 100 ऐसी महिलाओं में से 26 महिलाएँ पति द्वारा पीडित होती है। इनमें महिलाएँ प्रकरण तब ही उजागर करती है जब पति की हिंसात्मक कार्यवाही असहनीय हो जाती है।

2. दहेज हत्याएँ

विवाह के समय दुल्हन को पारम्परिक रिवाज के अनुसार दहेज देना सभी जाति, धर्म, वर्ग एवं क्षेत्रों में प्रचलित है। मानव समाज में मानव संबंधो में व्यापारीकरण एवं आर्थिक तत्वों का महत्व बढता जा रहा है। इससे समाज में दहेज रूपी दानव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। दहेज ज्यादा से ज्यादा मांगने के लिए दहेज हत्याएँ की जाती है।

कुछ युवा पत्नी आत्महत्या कर लेती है। कुछ को दहेज की मांग में पति द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। ताकि वह दूसरी शादी कर दहेज और प्राप्त कर सकें। दहेज हत्या प्रायः दुर्घटना के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इन हत्याओं में ज्यादातर प्रकरण घर के अन्दर के भाग में होते है।

3. लैंगिक हिंसा

महिला लैंगिक हिंसा के ऑकडे न केवल राजस्थान में वरन् पूरे भारत में सरकारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर प्रकरण वैधिक अधिकारी को पंजीकृत नहीं कराए जाते। समाज में महिला को अत्यधिक नाजूक माना गया है। इसकी रक्षा करना परिवार की इज्जत मानी जाती है। लैंगिक हिंसात्मक कार्यवाही में महिला अपने आप को सामने नहीं लाती क्योंकि वह अपने स्वयं के प्रति शर्म, परिवार के प्रति शर्म, यदि पुनर्विवाह होगा तो पति के साथ रहेगी तब समाज में व अन्य सभी स्थानों पर शर्म महसूस करेगी। वैधानिक दृष्टि से लैंगिक हिंसा को सिद्ध करना समाज में कठिन कार्य है।

4. हिंसात्मक अपराध

महिलाओं पर भारत में हिंसात्मक अपराध की संख्या प्रतिवर्ष बढती जा रही है। यह संख्या अपराधों मे बढती हुई प्रवृति को दर्शाती है। ऐसे महिला अपराध किसी विशेष उद्देश्य यथा चोरी, डकैती के समय होते है ।

5. सामाजिक हिंसा

ये महिला अपराध भ्रूण हत्या के रूप में अधिक होते है । भारत में समाज पितृप्रधान है। समाज के सभी दृष्टिकोण से पुरूष को प्रधान माना गया है। अतः प्रत्येक परिवार, समाज में लडके का जन्म उत्तम एंव लडकी का जन्म श्राप माना जाता है। इस प्रवृति में वैज्ञानिक तकनीकी ने बढोतरी की है। गर्भ में शिशु लिंग परीक्षण कर गर्भस्थ महिला शिशु की हत्या की जा रही है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में महिला की हिसा के रूप में लडकी को जन्म देते ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इन हत्याओं के प्रति अन्य प्रमुख कारणों मे उच्च दहेज, समाज, स्त्री की घटती परिस्थिति आदि मुख्य है ।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रमुख कारण निम्नांकित प्रकार से है।

1. परिस्थिति जिसके कारण हिंसापूर्ण व्यवहार किया जाता है।

2. पीडितों की विशेषताएँ

पुरूष प्रधान

3. उत्पीडित करने वाले की विशेषताएँ यथा (अ) पीडित द्वारा भडकाना (ब) नशा (स) महिलाओं के प्रति शत्रुता की भावना और (द) परिस्थिति सम्बन्धी लालसा

3 भारत वर्ष में स्त्रियों की स्थिति

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के विषय में विभिन्न मत पाये जाते है। सरस्वती विद्या की देवी, लक्ष्मी धन की देवी और दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है। इस प्रकार हिन्दुओं में स्त्रियों पूज्य मानी जाती है।

मनु ने कहा है – 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता ! अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वा होता है। किन्तु कथनी और करनी में बहुत अंदर है । मनु ने स्त्रियों के संबंध में दूसरी नीति निर्धारित की है । कथनी में "यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते' कहा है तो करनी में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

पिता रक्षति कौमार्ये भती रक्षति यौवने ।

पुत्रो रक्षति वार्धक्येन स्त्री स्वातन्त्रता मर्हति।।"

अर्थात् पिता कुमारी अवस्था में, पति यौवनकाल में और पुत्र वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा करता है । स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहती ।

अर्थात् लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जीवन पर्यन्त पुरूष की अधीनता मे रहती है, उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। यह भी 'मनु' ही कहते है ।

यही भाव याज्ञवल्क्य के भी है–

'रक्षेत् कन्यां पिता, निम्नां पतिः पुत्रास्तु वार्धक्ये |

अभावे ज्ञतयस्तेषां न स्वातंन्त्रय कवचित् स्त्रियाः ।।'

इसी प्रकार की अनेक और भी उक्तियाँ है, जिनमें यह स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री कभी भी स्वतन्त्र नहीं है । स्वतन्त्रता का यही बहुआयामी स्वरूप है अर्थात् चाहे गृहकार्य हो, सम्पत्ति संबंधी कार्य हो वह आजीवन पुरूष के अधीन रहती है। स्त्री की परतंत्रता की अवधारणा के पीछे यह तर्क दिया गया है

"स्त्रियों निरिन्द्रिया भद्रायादि" ।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति में जितना आरोह व अवरोह होता रहा है, सम्भवतः विश्व के इतिहास मे किसी दूसरे समाज में यह स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। हिन्दी जीवन का दृष्टिकोण नारी के प्रति इतना सम्मानपूर्ण और गौरवान्वित रहा है कि नारी को ही सभ्यता का स्त्रोत, संस्कृति का निर्माता व सामाजिक जीवन का आधार माना है।

भारतीय संस्कृति समष्टिगत है। यह सामूहिकता की पोषक है। इसमें जीवन मात्र के कल्याण की भावना निहित है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष है:–

सर्वेन्तु सुखिनः सर्वेशन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत ।।

अर्थात सब सुखी हो, सब निरोग ही रहे, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, कोई दुःखी ना रहें। वसुधैव कुटुम्बकम् के आदर्श पर चलने वाली भारतीय संस्कृति में परिवार नामक संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारतीय समाज में गृहस्थाश्रम की बड़ी महत्ता और प्रतिष्ठा है। इसी आश्रम के अन्तर्गत व्यक्ति परिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए पुरूषार्थ को प्राप्त करता है और ऋणों से मुक्त होता है। इसी प्रकार परिवार सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण इकाई है।

संयुक्त परिवार में माता–पिता, बहन भाई, पति–पत्नी, पितामह, भाईयो की स्त्रियों, बच्चे आदि होते है। भारत में संयुक्त परिवार की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है। ऋग्वेद के मंत्र में पुरोहित वर–वधु को आशीर्वाद देते हुए कहता है – "तुम यहीं इसी घर में रहो, विमुक्त मत हो, अपने घर में पुत्र और पोत्रों के साथ खेलते हुए, आनन्द मानते हुए सम्पूर्ण आयु का उपभोग करों ।" मगर आधुनिक काल में संयुक्त परिवार की त्रिवेणी सूखने लगी है। एकाएक संयुक्त परिवारों के बिखरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके स्थान पर स्वतंत्र एकल परिवारों का उद्देश्य बडी तीव्र गति के साथ हो रहा है। परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वृद्ध सदस्यों की स्थिति चितंनीय होती जा रही है।

परिवार सहयोग भावनाओं और संवेदनओं का घरोंदा है। इन्हीं औजारों से परिवार को तरासा जाता है। इनके अभाव में परिवार रूपी शरीर मे विकृति आ जाती है तो शरीर के अंग अलग–अलग होकर बिखरने लग जाते है। अभिमान, कटाक्ष और दुर्भावना परिवार में एकता की जड़ों को कमजोर करते है। टूटने वाली परिस्थितियों वृद्धों के लिए असहनीय हो जाती है, क्योकि संगठन का प्रयास किया है, विघटन का नहीं।

एक परिवार में बढिया नस्ल का कुत्ता पाला गया, वह बीमार हो जाता है तो घर में उदासी छा जाती है। बच्चे खाना नहीं खाते। उसकी खूब सेवा करते हैं समय–समय पर अस्पताल ले जाते है मगर उसी घर में मौजूद दादाजी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जाहिर था कि उनकी निगाहों में कुत्ते की अहमियत अधिक थी। वह खामोश बैठा रहता या छलकूद करता, रात को चौकीदारी करता, कोई भी भाषण या नसियत नहीं देता। शायद यही कुत्ते की महत्ता का प्रमुख कारण था। वहाँ दादाजी की कोई उपयोगिता नहीं थी। फलस्वरूप परिवारजनों के लिए उनकी उपस्थिति दिनो–दिन असहनीय होती जा रही थी। सो बच्चों का पिता अपने नेत्रहीन पिता को चुपचाप एक दिन वृद्धाश्रम में छोड़ आया। उसी पिता को जिसने उसे अंगूली पकड कर कभी चलना सिखाया था ।

ऐसा बैगानापन यदि वृद्ध, अशक्त माता–पिता को अपनी ही सम्पत्ति से भुगतने को मिले तो उनके लिए असहनीय, वेदनादायक स्थिति बन जाती है। संभवतः उन्हें दीर्घआयु अभिशाप की तरह प्रतीत होती है और वे शीघ्र मृत्यु की कामना करने लगते है।

अत्याचार का नामकरण यह बताता है कि उन्होंने उसे अत्याचार मानना सीख लिया, जिसे चुपचाप नहीं सहना चाहियें, उसको नाम देना उसे किसी वर्ग नाम देने के लिए की गई प्रक्रिया, जिससे होने वाली अनुभूति का वर्गीकरण किया जा सकें, अधिकांशतः प्रचलित श्रेणियाँ वर्तमान स्थिति एवं परिप्रेक्ष्य की उपज है।

आज यह स्पष्टतः माना जाने लगा है कि महिलाओं की दबकर रहने की परिस्थिति उस अत्याचार के साथ निकट से जुडी हुई है, जो उसे जीवन में सहने पड़ते है। बहुत सी महिलाएं घरेलू अत्याचार को नहीं समझती थी। इसलिये वे उसे अत्याचार का नाम देने को तैयार नही थी। अतः स्पष्टतया वे उसे अन्याय नहीं मानती थी। इसीलिए उपकार्यो को अत्याचार नाम देना व इसी रूप में पहचान देना वैज्ञानिक आधार पर उसका विरोध करना है।

अंत में गाँव के स्तर पर महिलाओं के समूदाय के निर्माण का अर्थ है कि अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष चलाना कष्ट साध्य होता है। महिलाओं के समुदायों की जरूरत उन पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध लगातार सामुदायिक संघर्ष के करने के लिए पडती है। परिवार में अत्याचार पर ताजा विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिवार के विषय में हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। ये स्पष्टतः अनुभव हो गया है कि महिलाएँ तभी सफल बन सकती है, जब उन्हें ये महसूस होने लग जाये कि लैंगिक, वर्गीय, जातिय आदि दृष्टि से वे पुरूष के अधीन है। अतः उन्हे मिलकर सबल बन जाना चाहियें। इससे उन्हें शोषण व दमन के विभिन्न साधनों से निपटने में सहायता मिलेगी। चाहे परिवार, समुदाय, कार्यक्षेत्र या राज्य सरकार का स्तर हो ।

पारिवारिक जीवन व्यक्ति की शक्ति एवं सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है किन्तु किन्हीं कारणों यदि व्यक्ति को अकेलापन, प्रेम का अभाव, संवेगात्मक अभाव, प्रजनन संबंधी रोगो आदि का सामना करना पडता है तो व्यक्ति टूट जाता है और इससे मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या का सहारा लेता है।

औद्योगिक विकास के फलस्वरूप लोगो की आवश्यकताएँ बहुत अधिक बढ गई है अतः सामान्यतः अधिकांश परिवार आर्थिक दृष्टि से हीन रहते है। स्त्रियों के घर के काम बहुत कम हो गये है। अतः स्त्री और पुरूष के बीच संबंधो मे काफी तनाव आ गया है क्योंकि आर्थिक संकट में पुरूष समझाता है और स्त्रियाँ समझती है कि उनकों भेड़–बकरी बनाकर रखा जा रहा है।

दहेज प्रथा सामंती युग की देन मानी जाती है। धीरे–धीरे इस प्रथा का प्रचलन समाज के अन्य वर्गो मे भी होने लगा । आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी हम लोग अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए कर्ज लेकर दहेज देने लगें। वर पक्ष लालची बनाकर अब लडकों का व्यापार प्रारंभ हो गया है। धीरे–धीरे दहेज लेना व देना एक प्रथा बन गई है। और सामाजिक परम्परा के रूप में विवाह के समय उसे अनिवार्य समझा जाता है। इसका प्रारंभ हुआ।

दहेज प्रथा केवल समाज के लिए ही अभिशाप सिद्ध नहीं हुई वरन् इस प्रथा को न जाने कितने व्यक्तियों के जीवन को नरकीय बना दिया। इसके दुष्परिणाम आये दिन सुनाई देते है दहेज न लाने वाली लडकियाँ या तो तिल–तिल करके घुटती रहती है या आत्महत्या कर लेती है या उसके ससुराल वाले किसी ना किसी तरह उसे मार देते है। इससे स्त्रियों के प्रति हिंसा स्तर में वृद्धि हुई है व इनके सम्मान का स्तर घटा है। दहेज की चिन्ता में भ्रूण परीक्षण द्वारा स्त्री भ्रूण को गर्भ में ही मार देती है। स्त्रियों में असुरक्षा बढी है। पारिवारिक विघटन हो रहा है तथा धन की मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है।

जीवन चक्र के दौरान महिलाएं और हिंसा

महिलाओं को अपने पूरे जीवन काल में हिंसा का सामना करना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या के रूप में उसके जन्म से पहले ही हिंसा शुरू हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या से पहले, महिलाओं को उनके जन्म के बाद शिशुहत्या के अधीन किया जाता था (एल्सबर्ग एंड हाइज़, 2005)। वे महिलाएं, जो किसी तरह शिशुहत्या से बच निकलीं, उन्हें अपने प्रारंभिक जीवन में पोषण में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। महिलाएं, वयस्कता प्राप्त करने के बाद, यौन उत्पीड़न, ईव–टीजिंग, छेड़छाड़ और यहां तक कि बलात्कार के रूप में यौन शोषण का गवाह बनती हैं। वे अपना पूरा जीवन असुरक्षा में जीते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में अभी भी बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है (बरुआ और अन्य 2007)। कम उम्र में शादी करने से प्रेग्नेंसी जल्दी हो जाती है। प्रारंभिक गर्भावस्था के परिणामस्वरूप कुपोषित बच्चा या कभी–कभी मृत शिशु का जन्म होता है (मेहरा एवं अन्य 2004)। इस प्रकार कम उम्र में विवाह कुपोषित बच्चों, गर्भपात, नवजात मृत्यु दर और महिला मृत्यु दर के रूप में एक जनसांख्यिकीय आपदा है (सेथुरमन और दुव्वरी, 2007)। महिलाओं का वैवाहिक जीवन हिंसा से भरा होता है। उन्हें घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, जबरन वैवाहिक यौन संबंध, आदि के रूप में हिंसा का सामना करना पड़ता है (मैत्रेयी, 2007)। कभी–कभी विधवापन में उनका जीवन वीरान हो जाता है। उन्हें हर तरह से उपेक्षित किया जाता है और वे अपने बेटे और बहू की दया पर जीते हैं (कपड़िया और अन्य 2007)।

यह देखा गया है कि अपने जीवन चक्र में महिलाएं सभी प्रकार के लैंगिक पूर्वाग्रहों, हिंसा और शोषण का सामना करती हैं (एल्सबर्ग एंड हाइज़, 2005)। पुरुष वर्चस्व की अवधारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (ओल्डेनबर्ग, 1992)। प्राचीन काल से, महिलाओं को एक पुरुष प्रधान समाज (वर्मा, 2005) द्वारा नियंत्रित

किया जा रहा है। महिलाएं और लड़कियां परिवार के सम्मान का प्रतिनिधित्व करती हैं। लड़कियों या महिलाओं द्वारा शर्मसार करने वाले किसी भी कृत्य की परिवार द्वारा हिंसक प्रतिक्रिया की जाती है। यहां तक कि परिवार के सदस्य सम्मान बचाने के नाम पर ऐसे कृत्यों के लिए अपनी बेटियों को भी मार डालते हैं (चौधरी, 2014)। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क (आईआरएनवीएडब्ल्यू) 1995 से वैश्विक स्तर पर इस तरह के अपराधों की प्रवृत्ति और पैटर्न का अध्ययन कर रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के रिपोर्ट किए गए मामले केवल हिमशैल की नोक हैं क्योंकि अधिकांश मामले महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कभी भी रिपोर्ट नहीं की जाती (एल्सबर्ग एंड हेइस, 2005)।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा: एक वैश्विक समस्या

लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा सर्वव्यापी है। वाशिंगटन में ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स (2004) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण से पहले वर्ष में लगभग ग्यारह प्रतिशत पत्नियों को उनके अंतरंग भागीदारों द्वारा शारीरिक रूप से हमला किया गया है; कई वर्षों में चार प्रतिशत पर बार–बार हमला किया गया है; तीस से चालीस प्रतिशत अपने जीवनकाल में शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं; और हर साल लगभग बारह सौ महिलाओं की उनके पतियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। संयुक्त राज्य में, सभी हत्या की गई महिलाओं में से एक तिहाई की हत्या उनके सहयोगियों द्वारा की जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अंतरंग हिंसा की दर पांच गुना अधिक है, और पुलिस को रिपोर्ट किए जाने की संभावना बहुत कम है (कैटलानो और स्नाइडर, 2009)। हिंसक व्यवहार की उच्च दर, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में महिलाओं की समय–समय पर जबरदस्त क्रूर हत्याओं ने लिंग आधारित हिंसा (कैब्रेरा 2010) के इस जबरदस्त रूप को समझाने के लिए एक नए शब्द ष्नारी हत्याष का उदय किया है।

यूरोप में, आतंकवाद या कैंसर (एलमैन, 2007) की तुलना में महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिला निवासियों के लिए कहीं अधिक खतरनाक है। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी महिलाओं में से एक–पाँचवीं से एक–चौथाई महिलाओं ने अपने वयस्क जीवन के दौरान कम से कम एक बार शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है और दसवीं से अधिक ने बल प्रयोग से संबंधित यौन हिंसा का सामना किया है। उल्लंघनों की पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए महिलाएं पीड़ित हैं, 45 प्रतिशत यूरोपीय महिलाएं ऐसी हिंसा की शिकार हैं, और सभी महिलाओं में से 12 से 15 प्रतिशत सोलह वर्ष की आयु के बाद घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। नॉर्वे और तुर्की में विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययनों में क्रमशः 18 और 58 प्रतिशत की दर पाई गई और स्विट्जरलैंड के एक राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि 21 प्रतिशत महिलाओं ने एक अंतरंग संबंध में एक पुरुष द्वारा हमला किए जाने की सूचना दी। उत्तरी लंदन के एक अध्ययन में तीस प्रतिशत महिलाओं ने पुरुषों द्वारा अंतरंग हिंसा की सूचना दी (मार्टिनेज, 2006)। जिनेवा में स्थित एक गैर–सरकारी संगठन वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर (संगठन मोंडेल कॉन्ट्रा टॉर्चर या ओएमसीटी) द्वारा आयोजित एक 2002 की रिपोर्ट से पता चला है कि यमन में 46.3 प्रतिशत महिलाओं ने कुछ समय में अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों से हिंसक व्यवहार का अनुभव किया था। उनके जीवन में जीवन का बिंदु। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 50.9 प्रतिशत महिलाओं को हिंसा की धमकी दी गई थी, 54.5 प्रतिशत को शारीरिक

शोषण का सामना करना पड़ा था, 17.3 प्रतिशत को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था, 28.2 प्रतिशत की स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी, और 34 प्रतिशत की संपत्ति या तो नष्ट हो गई थी या चोरी हो गई, जबकि 44.5 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा इस प्रकार की हिंसा के तीन या अधिक रूपों (डब्ल्यूएचओ, 2002) से पीड़ित था। परिवार और महिलाओं की स्थिति के प्रतिनिधि मंत्री ने 2006 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किया, जो 19–64 वर्ष की आयु की 2,043 महिलाओं के नमूने के साक्षात्कार पर आधारित था। सर्वेक्षण ने साबित किया कि बड़ी संख्या में महिलाओं के परिवार के भीतर हिंसक व्यवहार का शिकार होने की संभावना है। इसने आगे खुलासा किया कि अल्जीरिया में हर दस में से एक महिला को हर दिन पीटा जाता है। इन मामलों में, पति विवाहित महिलाओं का सबसे अधिक दुर्व्यवहार करने वाला होता है; विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के साथ सबसे अधिक दुर्व्यवहार एक भाई द्वारा किया जाता है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दरें समान रूप से उच्च हैं (कैटलानो और स्नाइडर, 2009)।

उपसंहार

विद्यालय में लिंग असमानता को दूर करने की शिक्षा बच्चों को दी जाऐं उन्हें खुला वातारण प्रदान किया जाए। लड़के–लड़की के बीच असामानता को दूर करने के लिए, उन्हे मानव धर्म का ज्ञान कराया जाए। उन्हें बताया जाए कि हम मानव पहले है और बाद में लड़का या लड़की। हम सब बराबर है तथा कोई किसी से कम नही है। सबकी अलग–अलग क्षमता है सबकी अलग ऊर्जा है। सबमें कुछ अनोखा है इसलिए कोई कमजोर नही है। आज वर्तमान समय में वह किस तरह कि समस्याओं से ग्रसित है। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर व्यक्ति धीरे–धीरे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में वह समाज में अपना सकारात्मक योगदान नही दे पाता है। यह तथ्य महिलाओं के मामले में भी सत्य है। घरेलू हिंसा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को आघात पहुंचाता है जिससे महिला परिवार व बच्चों के विकास में सकारात्मक योगदान नही दे पाती है। हिंसक पारिवारिक वातावरण कभी भी समाज के लिए लाभदायक नही हो सकता। अतः समाज की रक्षा के लिए हिंसा के विषय पर सम्पूर्ण जागरूकता की जरूरत है जिससे इसे दूर किया जा सके और एक स्वस्थ्य और सुन्दर समाज का निर्माण किया जा सके।

संदर्भ सूचि

1. हाइज, एल., एम. एल्सबर्ग, और एम. गोटेमोएलर। 1999. 'एंडिंग वॉयलेंस अगेंस्ट वुमन', पॉपुलेशन रिपोर्ट्स, सीरीज एल. नंबर 11. बाल्टीमोर, मैरीलैंड: पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ।
2. हेइस एल, मूर के और टूबिया एन। 1995। यौन दबाव और प्रजनन स्वास्थ्य: अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित। न्यूयॉकर्रू जनसंख्या परिषद।
3. इब्बेटसन, डी. 1974. पंजाब कास्ट्स। लाहौररू मुबारक अली मुद्रण।
4. आईसीडीडीआर–बी। 2006. 'बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा', स्वास्थ्य विज्ञान बुलेटिन, 2006 जूनय 4(2).

5. इवारिमी–जाजा, डार्लिंगटन। 1989. 'शारीरिक दुर्व्यवहार महिला: एक अनुभवजन्य अध्ययन', दर्शन और सामाजिक क्रिया, 15, 1–2 जनवरी–जून, पीपी। 7–16, समाजशास्त्रीय सार में उद्धृत, टवस.38, छव.2, जून 1990।
6. जाफ, पी., और सुडरमैन, एम और रिट्जेल, डी. 1992. 'चाइल्ड विटनेस ऑफ मैरिटल वायलेंस' इन आर. अम्मरमैन एंड एम. हर्सन (एड.): पारिवारिक हिंसा का आकलन: एक क्लिनिकल और कानूनी सोर्सबुक। न्यूयॉकर्रू जॉन विली एंड संस, इंक।
7. जैन, आर.1992। भारत में पारिवारिक हिंसा नई दिल्ली: दीप्तिमान प्रकाशन।
8. जीजीभॉय शिरीन जे. 1998. ',सोसिएशन बिटवीन वाइफ–बीटिंग एंड फीटल एंड इन्फैंट डेथरू इम्प्रेशन फ्रॉम ए सर्वे इन रूरल इंडियाश, स्टडीज इन फैमिली प्लानिंग, 29(3), पीपी.300–308।
9. ज्यूकेस, आर. 2002. 'इंटीमेट पार्टनर वायलेंसरू कॉजेज एंड प्रिवेंशन', द लैंसेट, 359 (20 अप्रैल), पीपी. 14231–14429।
10. ज्यूकेस, आर. 2012. बलात्कार अपराधरू एक समीक्षा। प्रिटोरियारू यौन हिंसा अनुसंधान पहल।
11. जूलियन, जोसेफ और कोर्नब्लम, विलियम। 1986. सामाजिक समस्याएं। शागिर्द कक्ष,
12. कबीर एन. 1988. 'सबऑर्डिनेशन एंड स्ट्रगल: वीमेन इन बांग्लादेश', न्यू लेफ्ट रिव्यू, I/168, पीपी. 95–121।